| निम्नलिखित की समाप्त अवधि के लिये तुलन-पत्र के अनुसार | | प्रदत्त पूंजी |
|---|---|---|
| | | (रु० लाखों में) |
| 31-3-1957 | | 87.85 |
| 30-9-1958 | | 100.00 |
| 20-9-1959 | | 123.25 |
| 30-9-1960 | | 169.98 |
| 30-9-1961 | | 169.99 |
| 30-9-1962 | | 219.32 |
| 30-9-1963 | से | |
| 30-9-1966 | तक | 219.98 |
| 30-9-1967 | से | |
| 30-9-1969 | तक | 259.98 |
| 31-3-1970 | से | |
| 31-3-1971 | तक | 259.98 |
| 31-3-1972 | से | |
| 31-3-1974 | तक | 229.98 |
| 31-3-1975 | से | |
| 31-3-1976 | तक | 225.36 |
| 31-3-1977 | | 229.36 |

**अशोक पपर मिल्स लिमिटेड, आसाम द्वारा उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क और आयकर का भुगतान**

714. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड, जोगीघोपा, जिला गोआलपाड़ा (असम) द्वारा पिछले तीन वर्षों में कितना उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क और आय कर का भुगतान किया गया है और इस कम्पनी ने अभी कितना भुगतान करना है; और

(ख) इस फर्म की स्थापना के बाद से इस में अब तक वर्ष-वार, कितनी-कितनी पूंजी लगी है, इसके भागीदारों की संख्या क्या है; इसके भागी दारों ने अब तक कितना आयकर का भुगतान किया है, वे किन अन्य उद्योगों और व्यापार में भागीदार हैं, उन्होंने इन उद्योगों और व्यापार म कितनी पूंजी लगाई है, उन पर पिछले तीन वर्षों से सम्बन्धित आय कर की कितनी राशि बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकार उल्लाह) : (क) जहां तक मैसर्स अशोक पेपर मिलस लि०, द्वारा पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में अदा किये गये सीमा शुल्क के बारे में सूचना का सम्बध है, वह प्रस्तुत नहीं की जा सकती क्योंकि किसी भी आयातकर्त्ता/निर्यातकर्ता विशेष द्वारा अदा किये गये सीमा शुल्क का वर्षवार रिकार्ड नहीं रखा जाता है ।

प्रश्न में मांगी गई अन्य सूचना एकत्र की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र ही सदन-पटल पर रख दी जायगी ।

(ख) यह पता चला है कि मैसर्स अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड एक लिमिटेड कम्पनी है और कम्पनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत है और इसलिए उसका कोई भागीदार होने का प्रश्न नहीं उठता । इस समय विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, (कम्पनी कार्य विभाग) के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार उक्त कम्पनी के पंजीकरण की तारीख 29-8-1957 है और इसमें लगाई गई पूंजी के वर्ष वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

| निम्नलिखित को समाप्त होने वाली अवधि के लिये तुलन-पत्र के अनुसार | प्रदत्त पूंजी |
|---|---|
| | (लाख रु० में) |
| 31-12-1958 | 0.33 |
| 31-12-1959 | 5.22 |
| 31-12-1960 | 13.01 |
| 31-12-1961 | 96.82 |
| 31-12-1962 | 141 90 |
| 31-12-1963 | 206.34 |
| 31-12-1964 | 216.48 |
| 31-12-1965 | 232.98 |
| 31-12-1966 | 232.98 |
| 31-12-1967 | 232.98 |
| 31-12-1968† | — |
| 31-12-1969† | — |
| 31-12-1970 | 232.98 |
| 31-12-1971 | 360.35 |
| 31-12-1972 | 102.91 |
| 31-12-1973 | 502.23 |
| 31-12-1974 | 503.31 |
| 31-12-1975 | 503.39 |
| 31-12-1976 | 503.39 |

†31-12-1968 और 31-22-1969 तक की स्थिति के अनुसार कोई लेखे प्रकाशित नहीं किये जा सके थे क्योंकि उन तारीखों को कम्पनी, कलकत्ता, उच्च न्यायालय के आदेशों के अधीन परिसमापनाधीन थी । कम्पनी अधिनियम की धारा 391 के अधीन इस कम्पनी को 1970 में फिर से चालू किया गया था ।

**कामरूप पेपर मिल्स, गोहाटी द्वारा उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क और आयकर का भुगतान**

715. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कामरूप पेपर मिल्स, बी० आर० फकान रोड, भरालामुख, गौहाटी द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कितना उत्पादन शुल्क, सीमा-शुल्क और आय